रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1279] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 26, 2019/चैत्र 5, 1941
No. 1279] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 26, 2019/CHAITRA 5, 1941

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2019

सा.का.नि. 1427(अ).— केंद्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 5166 (अ) तारीख 04 अक्तूबर 2018, जो भारत के राजपत्र तारीख 06 अक्तूबर 2018, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पश्चिम बंगाल राज्य में "पारादीप – हल्दिया - दुर्गापुर पाइपलाइन ऑग्मेंटेशन और इसका पटना और मुजफ्फरपुर तक विस्तार" जिला बीरभूम में एलपीजी परिवहन के लिए इंडियन आयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी:

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 24 अक्तूबर 2018 तक उपलब्ध करा दी गई थी,

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केंद्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमे उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केंद्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगी

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बंधित किसी भी मामले पर केंद्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी

अनुसूची

तहसील - दुबराजपुर	जिला - बीरभूम	राज्य - पश्चिम बंगाल		
गाँव का नाम	प्लॉट नं.		क्षेत्रफल	
		हेक्टयर	एयर	वर्ग मीटर
1	**2**	**3**	**4**	**5**
वीरभद्रपुर	25	00	06	00
	22	00	00	45
	24	00	05	80
	75	00	06	60
	30	00	01	56
	73	00	04	92
	74	00	05	68
	90	00	00	20
	72	00	10	80
	70	00	01	48
	95	00	09	85
	69	00	05	90
	52	00	00	42
	53	00	01	18
	68	00	03	00
	68	00	00	22
	162	00	08	66
	161	00	03	14
	183	00	00	60
	184	00	00	46

	186	00	01	80
	188	00	01	72
	185	00	03	86
	178	00	05	76
	191	00	01	20
	190	00	00	66
	192	00	01	18
	193	00	02	00
	194	00	00	20
	196	00	07	55
	197	00	00	24
	200/833	00	02	18
	199	00	06	44
	208	00	00	20
	207	00	01	66
	206	00	06	92
	204	00	02	48
	203	00	05	86
	205	00	00	20
वीरभद्रपुर	223	00	01	35
	221	00	01	92
	222	00	03	60
	285	00	01	34
	224	00	10	80
	227/846	00	02	60
	227	00	00	80
	228	00	02	26
	226/919	00	09	82
	259	00	00	52
	260	00	02	64
	261	00	05	52
	262	00	07	12
	624	00	05	52

	621	00	03	46
	620	00	04	45
	619	00	04	86
	618	00	05	86
झीरुल	33	00	05	26
	35	00	01	56
	34	00	02	14
	68	00	04	96
	70	00	04	26
	71	00	00	38
	72	00	04	76
शिमूलडीही	1178/1354	00	01	16
	1178/1355	00	00	30
	1178	00	06	20
	1177	00	01	68
	1175	00	06	02
	1173	00	00	20
	1179	00	06	88
	1181	00	11	58
	1189	00	00	38
	1199	00	08	56
	1198	00	00	82
	1214	00	03	66
	1197	00	04	32
	1215	00	07	00
	1216	00	06	14
	1226/1454	00	06	16
	1217	00	00	28
	1221	00	02	30
	1220	00	07	58
चांपनागरी	825	00	03	90
	835	00	00	58
	834	00	13	66
	826	00	02	76

	829	00	00	98
	832	00	12	06
	830	00	00	20
	846	00	00	38
	844	00	00	75
	831	00	00	20
	845	00	00	20
उत्तरडाहा	952	00	06	08
	950	00	00	64
	951	00	13	54
	945	00	01	90
	973/1182	00	03	76
	974	00	18	10
	973	00	02	26
	975	00	03	64
	976	00	04	42
	978	00	00	75
	980	00	00	20
	986/1186	00	00	20
	979	00	15	35
	989	00	05	06
	988	00	04	26
	991	00	00	68
	987	00	07	36

[फा. सं. आर.—11025(11)241/2017/ओ—आर—II/ई—17681]

शान्तनु धर, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 2019

S.O. 1427(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 5166(E) dated 04th October, 2018 issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette of India dated the 06th October, 2018, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying 'Augmentation of Paradip-Haldia-Durgapur LPG Pipeline and its extension up to Patna and Muzaffarpur' Pipeline

Project, for the transportation of Petroleum Products in Birbhum District in the state of West Bengal by Indian Oil Corporation Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 24th October, 2018;

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Tehsil : DUBRAJPUR	District : BIRBHUM	State : WEST BENGAL		
Name of the Village	Plot No.	Area		
		Hectare	Are	Sq.mtr.
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Birbhadrapur	25	00	06	00
	22	00	00	45
	24	00	05	80
	75	00	06	60
	30	00	01	56
	73	00	04	92
	74	00	05	68
	90	00	00	20
	72	00	10	80
	70	00	01	48
	95	00	09	85
	69	00	05	90
	52	00	00	42
	53	00	01	18
	68	00	03	00
	68	00	00	22
	162	00	08	66
	161	00	03	14
	183	00	00	60
	184	00	00	46
	186	00	01	80
	188	00	01	72
	185	00	03	86
	178	00	05	76
	191	00	01	20

	190	00	00	66
	192	00	01	18
	193	00	02	00
	194	00	00	20
	196	00	07	55
	197	00	00	24
	200/833	00	02	18
	199	00	06	44
	208	00	00	20
	207	00	01	66
	206	00	06	92
	204	00	02	48
	203	00	05	86
	205	00	00	20
	223	00	01	35
Birbhadrapur	221	00	01	92
	222	00	03	60
	285	00	01	34
	224	00	10	80
	227/846	00	02	60
	227	00	00	80
	228	00	02	26
	226/919	00	09	82
	259	00	00	52
	260	00	02	64
	261	00	05	52
	262	00	07	12
	624	00	05	52
	621	00	03	46
	620	00	04	45
	619	00	04	86
	618	00	05	86
Jhirul	33	00	05	26
	35	00	01	56
	34	00	02	14
	68	00	04	96
	70	00	04	26
	71	00	00	38
	72	00	04	76
Shimuldihi	1178/1354	00	01	16
	1178/1355	00	00	30
	1178	00	06	20
	1177	00	01	68
	1175	00	06	02
	1173	00	00	20
	1179	00	06	88
	1181	00	11	58

	1189	00	00	38
	1199	00	08	56
	1198	00	00	82
	1214	00	03	66
	1197	00	04	32
	1215	00	07	00
	1216	00	06	14
	1226/1454	00	06	16
	1217	00	00	28
	1221	00	02	30
	1220	00	07	58
Chanpanagari	825	00	03	90
	835	00	00	58
	834	00	13	66
	826	00	02	76
	829	00	00	98
	832	00	12	06
	830	00	00	20
	846	00	00	38
	844	00	00	75
	831	00	00	20
	845	00	00	20
Uttardaha	952	00	06	08
	950	00	00	64
	951	00	13	54
	945	00	01	90
	973/1182	00	03	76
	974	00	18	10
	973	00	02	26
	975	00	03	64
	976	00	04	42
	978	00	00	75
	980	00	00	20
	986/1186	00	00	20
	979	00	15	35
	989	00	05	06
	988	00	04	26
	991	00	00	68
	987	00	07	36

[F. No. R-11025 (11)241/2017/OR-II/E-17681]

SANTANU DHAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.03.27 20:13:32 +05'30'